निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल–462011
Email – mpsec@mp.gov.in
Ph.No. - 0755-2555527

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक–एफ–35 / PN–01 / 2022 / तीन / 09 भोपाल, दिनांक 12 / 01 / 2022

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.)
जिला–समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय : पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2022 की तैयारी हेतु प्रक्रिया एवं समयसारणी।

––00––

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा–5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए वार्डवार मतदाताओं की फोटोयुक्त सूची हिन्दी में देवनागरी लिपि में प्ररूप–1 में तैयार किये जाने के प्रावधान है। म.प्र.पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम–14 अनुसार ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को प्रत्येक वर्ष के 01 जनवरी की स्थिति में पुनरीक्षण किया जाने का प्रावधान है।

उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2022 की संदर्भ तिथि के आधार पर ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में प्रकाशित** अंतिम मतदाता सूची के आधार पर मतदाताओं को ग्राम पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के समय विद्यमान परिसीमन के अनुसार यथास्थान प्रविष्ट किये जाने हेतु पूर्व जारी कार्यक्रम दिनांक 29.12.2021 निरस्त किया जाकर नवीन समय सारणी निर्धारित की गई है, कृपया तदनुसार कार्यवाही की जावे। मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–16–8 / 2021 / 22 / पं.–2 / 498 दिनांक 11.01.2022 द्वारा **त्रिस्तरीय पंचायतों का परिसीमन – सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022** हेतु निर्देश एवं समय सारणी जारी की गई है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ग्राम पंचायत एवं उसके वार्डों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन दिनांक 23.02.2022 को किया जायेगा, **इसके उपरांत मतदाताओं को उनके क्षेत्र अनुसार यथास्थान प्रविष्ट किया जाकर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन एवं अनुवर्ती कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु निर्देश, प्रक्रिया एवं समय सारणी पृथक से घोषित की जायेगी।**

पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2022 की तैयारी हेतु कृपया निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए आयोग द्वारा म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल को राज्य स्तरीय एजेंसी (SLA) नियुक्त है। SLA द्वारा आपके जिले के लिए वेण्डर का चयन किया जाकर आपको सूचित किया जा चुका है। वेण्डर द्वारा पूर्व में ही जिले में आवश्यक स्टाफ और कम्प्यूटर इत्यादि की व्यवस्था की जा चुकी है। कृपया वेण्डर द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर लें और पर्याप्त समय पूर्व यथाआवश्यक सुधार भी कर लें।
2. पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2022 की तैयारी हेतु अपेक्षित गतिविधियाँ 02 चरणों में सम्पन्न की जायेगी :–
   - **प्रथम चरण** –कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और अपडेशन। कंट्रोल टेबल में संशोधन होने पर संशोधन अनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की कार्यवाही।
   - **द्वितीय चरण** –विधानसभा की मतदाता सूची में बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित ग्राम पंचायत में जोड़ा जायेगा, विलोपित मतदाताओं को हटाया जायेगा और संशोधित मतदाताओं की जानकारी को संशोधित किया जाकर एकीकरण की कार्यवाही करना।

3. विगत वर्षो में वार्षिक पुनरीक्षण में कतिपय जिलों में मतदाता सूची तैयार करने में कुछ मानवीय और तकनीकी त्रुटियाँ हुई थी। त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया और ऑनलाईन एप्लिकेशन ERMS (Electoral Roll Management System) में संशोधन किये गये हैं :–

   - परिसीमन संबंधी त्रुटियों के निराकरण के लिए कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। कंट्रोल टेबल में संशोधन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से मान्य किया जायेगा। संशोधित कंट्रोल टेबल के अनुसार आधार पत्रक तैयार कर, मार्किंग कर मतदाताओं की शिफ्टिंग करना भी अनिवार्य किया गया है।

   - विधानसभा की मतदाता सूची के नामों के छूटने की त्रुटि के निराकरण के लिए शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची, संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शत् प्रतिशत मार्किंग का प्रावधान किया गया है। शत् प्रतिशत मार्किंग नहीं होने पर प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं हो सकेगी।

   - मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के लिए डेशबोर्ड तैयार किया गया है। कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डेशबोर्ड से उपरोक्त कार्यवाहियों की समय–समय पर समीक्षा की जा सकेगी।

प्रारंभिक तैयारियाँ
नियुक्ति एवं प्रशिक्षण

4. पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2022 की तैयारी के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजित किया जावेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मास्टर ट्रेनर एवं प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण निर्धारित समय सारणी अनुसार पूर्ण किया जावे।

प्रथम चरण
कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और अपडेशन

6. वेण्डर द्वारा कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट प्रदाय की जायेगी। चैकलिस्ट में विकासखण्ड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले वार्ड, ग्राम और मतदान केन्द्रों का विवरण अंकित होगा।

7. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन दर्ज करना होगा। यदि वेरिफिकेशन नहीं किया जायेगा तो ERMS में आगामी कार्यवाहियाँ नहीं हो सकेंगी।

8. विगत वर्षो में पुनरीक्षण की कार्यवाही में यह देखने में आया है कि कतिपय पंचायतें अथवा उनके कुछ भाग नगरपालिका में शामिल हो गये है, इसके बावजूद कंट्रोल टेबल से उनके नाम नहीं हटाये गये है और अभी भी उक्त क्षेत्र पंचायतों के रूप में प्रदर्शित हो रहे है।

9. इस सम्बंध में उपयुक्त कार्यवाही किये जाने के लिए वेण्डर से जनपद पंचायतवार ग्राम पंचायतों की सूची मतदाताओं की संख्या के घटते क्रम में प्राप्त की जाये। सूची में ग्राम पंचायत का नाम और उसके अंतर्गत मतदाताओं की संख्या दर्ज होगी। यह 0 या अन्य कुछ भी हो सकती है।

10. उक्त सूची का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाये। यदि कोई ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से नगरपालिका में शामिल हो गई है तो उसे कंट्रोल टेबल से मतदाताओं सहित हटाया जाये। मतदाताओं को डिलीट करते समय यह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त ग्राम पंचायत के मतदाता पूर्व वर्ष में नगरपालिका क्षेत्र में शिफ्ट किये जा चुके है और उनके नाम डुप्लिकेट के तौर पर दर्ज है। यदि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में शिफ्ट नहीं किये गये है तो उन्हें डिलीट करने के स्थान पर शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही सम्बंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कराई जाये।

11. यदि किसी पंचायत का आंशिक भाग नगरपालिका में शामिल हुआ है तो वेण्डर से उक्त पंचायत की वार्डवार सूची प्राप्त की जाये। जो वार्ड नगरपालिका में शामिल हो गये है उन्हें कंट्रोल टेबल से मतदाताओं सहित हटाया जाये। मतदाताओं को डिलीट करते समय यह अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त ग्राम पंचायत वार्ड के मतदाता पूर्व वर्ष में नगरपालिका क्षेत्र में शिफ्ट किये जा चुके है और उनके नाम डुप्लिकेट के तौर पर दर्ज है। यदि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में शिफ्ट नहीं किये गये है तो उन्हें डिलीट करने के स्थान पर शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही सम्बंधित नगरपालिका के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से कराई जाये।

12. यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन नहीं किया जाना है तो कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सत्यापन अनुसार वेण्डर द्वारा वेरिफिकेशन की कार्यवाही की जा सकेगी, लेकिन यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन किया जाना है तो आवश्यकतानुसार संशोधन ERMS में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से ही दर्ज किया जा सकेगा।

13. यदि वर्तमान वर्ष में नगरपालिकाओं के सम्बंध में परिसीमन और वार्ड विभाजन के कारण कंट्रोल टेबल में संशोधन किया गया है तो संशोधन अनुसार आधार पत्रक तैयार कर मार्किंग को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जाये और तदानुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही की जाये।

14. कंट्रोल टेबल के सम्बंध में उपरोक्त कंडिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के उपरांत ही विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जनरेट की जाये। यदि कंट्रोल टेबल के अपडेशन के पूर्व उक्त सूचियाँ जनरेट की जायेंगी तो सूचियों में त्रुटियों की सम्भावना रह सकती है।

द्वितीय चरण
विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ग्राम पंचायत की मतदाता सूची तैयार करने हेतु कार्यवाहियाँ

15. इस चरण में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जायेगी :–

    i. शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जनरेट करना।

    ii. शिफ्टिंग सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2022) में बढ़े और नये जोड़े हुए मतदाताओं को ग्राम पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के समय विद्यमान परिसीमन के अनुसार यथास्थान प्रविष्ट किया जायेगा।

    iii. विलोपन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2022) में विलोपित मतदाताओं को ग्राम पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के समय विद्यमान परिसीमन के अनुसार यथास्थान सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड से हटाया जायेगा।

    iv. संशोधन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2022) में मतदाताओं की संशोधित जानकारी को अंतिम निर्वाचन के समय विद्यमान परिसीमन के अनुसार सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड में यथासंशोधित किया जायेगा।

    v. उपरोक्तानुसार शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही किये जाने के उपरांत ERMS (Electoral Roll Management System) पर एकीकरण की कार्यवाही की जायेगी। **उक्त कार्यवाही उपरांत ERMS के एकीकृत डाटा को सुरक्षित रखा जाये।**

    vi. मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–16–8/2021/22/पं.–2/498 दिनांक 11.01.2022 द्वारा **त्रिस्तरीय पंचायतों का परिसीमन – सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022** हेतु निर्देश एवं समय सारणी जारी की गई है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ग्राम पंचायत एवं उसके वार्डों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन दिनांक 23.02.2022 को किया जायेगा, **इसके उपरांत मतदाताओं को उनके क्षेत्र अनुसार यथास्थान प्रविष्ट किया जाकर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा। इस हेतु निर्देश, प्रक्रिया एवं समय सारणी पृथक से घोषित की जायेगी।**

नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करना

16. वेण्डर द्वारा शिफ्टिंग सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए मार्किंग सूची) प्रदाय की जायेगी। इस सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं की जानकारी अनुभागवार होगी।

17. शिफ्टिंग सूची में मतदाता के नाम के आगे वार्ड नम्बर, पंचायत क्रमांक एवं पंचायत का नाम मार्किंग करने के लिए रिक्त ख़ाने बने हुए है।

18. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर मतदाताओं को ग्राम पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के समय विद्यमान परिसीमन के अनुसार यथास्थान प्रविष्ट किये जाने हेतु प्राधिकृत कर्मचारी नये एवं बढ़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित ग्राम पंचायत एवं वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, शिफ्टिंग सूची के ख़ाने में वार्ड नम्बर, पंचायत का क्रमांक व नाम दर्ज करेंगा।

19. शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत समस्त मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

20. शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में शिफ्टिंग की प्रविष्टि की जायेगी।

21. शिफ्टिंग सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं को पंचायत अथवा नगरपालिका में शिफ्ट करने के लिए निर्धारित ख़ाने में मार्किंग होना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता शिफ्टिंग की मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को शिफ्टिंग सूची में मार्किंग की कार्यवाही सावधानी पूर्वक करवाना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन

22. वेण्डर द्वारा विलोपन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) प्रदाय की जायेगी। विलोपन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम पंचायत की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।

23. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे विलोपन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली ख़ाना बना हुआ है।

24. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर मतदाताओं को ग्राम पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के समय विद्यमान परिसीमन के अनुसार यथास्थान विलोपित किये जाने हेतु प्राधिकृत कर्मचारी विलोपित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में विलोपित मतदाता की जानकारी का मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से **नहीं** होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।

25. इसका आशय यह है कि विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन करते समय क्रॉस का निशान केवल उस स्थिति में लगाया जायेगा जबकि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता के सम्बंध में ग्राम पंचायत की मतदाता सूची की जानकारी का मिलान नहीं होता हो। अर्थात् विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता कोई और हो और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में विलोपन के सत्यापन के लिए दी गई जानकारी में कोई और मतदाता हो।

26. **यह स्पष्ट है कि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित समस्त मतदाताओं को अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से हटाया जायेगा। विलोपन का वेरिफिकेशन करते समय प्राधिकृत कर्मचारी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस आधार पर नाम बनाये रखने का निर्णय नहीं ले सकते कि विधानसभा की मतदाता सूची से नाम गलत तरीके से हटाया गया है। ऐसे सभी मामले दावे आपत्ति के समय विचारण में लिये जायेंगे।**

27. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

28. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं को हटाने की प्रविष्टि की जायेगी।

29. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन

30. वेण्डर द्वारा संशोधन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) प्रदाय की जायेगी। संशोधन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाताओं की जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम पंचायत की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।

31. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे संशोधन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली ख़ाना बना हुआ है।

32. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर मतदाताओं को ग्राम पंचायतों के अंतिम निर्वाचन के समय विद्यमान परिसीमन के अनुसार यथास्थान संशोधित किये जाने हेतु प्राधिकृत कर्मचारी संशोधित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाता की जानकारी का मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से **नहीं** होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।

33. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।

34. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शत्प्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं की जानकारी को संशोधित करने की प्रविष्टि की जायेगी।

35. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत्प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण

36. शिफ्टिंग सूची विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर जनरेट की जायेगी। यह सम्भव है कि एक शिफ्टिंग सूची में दर्ज कुछ नाम पंचायत में और कुछ नाम नगरपालिका में शिफ्ट किये जाना हों। ऐसी कतिपय स्थितियों में विवाद की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है।

37. यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है, तो शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

38. यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में नहीं आते है, तो शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

39. विवाद के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर एवं सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सम्बंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक कर यह तय करेंगे कि किस मतदाता को ग्राम पंचायत में शिफ्ट करना है और किस मतदाता को नगरपालिका के वार्ड में शिफ्ट करना है। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदानुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिफ्टिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।

40. कुछ विधानसभा क्षेत्र दो–दो जिलों में भी स्थित है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–78 और 82 सीधी–सिंगरौली जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–167 आगरमालवा–शाजापुर जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–193 झाबुआ–अलीराजपुर जिलों में और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक–23 शिवपुरी–दतिया जिलों में आता है। इन जिलों में यदि कोई शिफ्टिंग सम्बंधी विवाद होता है तो विवाद का निराकरण क्रमशः सीधी, आगरमालवा, झाबुआ और शिवपुरी के जिला कलेक्टर द्वारा सम्बंधित अन्य जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से बैठक कर किया जायेगा। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदानुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिफ्टिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।

–// समय सारणी //–

प्रारंभिक तैयारी (प्रशिक्षण एवं अन्य अनुशांगिक कार्यवाहियाँ)			
क्रमांक	**कार्यवाही**	**उत्तरदायित्व**	**समयसीमा (अंतिम तारीख)**
1.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण (वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से)।	राज्य निर्वाचन आयोग	14 जनवरी, 2022
2	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति और जिला स्तरीय प्रशिक्षण।	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी	14 जनवरी 2022 से 17 जनवरी, 2022 तक
3.	प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति, दावे आपत्ति केन्द्रों का निर्धारण, प्राधिकृत कर्मचारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं अन्य समस्त संबंधितों का विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	
4.	भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में तैयार अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की एक प्रति (अनुपूरक सूचियों सहित) जिला निर्वाचन कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त करना और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।	उप जिला निर्वाचन अधिकारी	17 जनवरी, 2022

प्रथम चरण (कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन, अपडेशन और मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण)			
क्रमांक	**कार्यवाही**	**उत्तरदायित्व**	**समयसीमा (अंतिम तारीख)**
5.	**कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट की प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।**	**वेण्डर**	20 जनवरी, 2022
6.	कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट की प्रति मतदान केन्द्रों के परीक्षण और युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	21 जनवरी, 2022
7.	मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपना।	**तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत**	22 जनवरी, 2022
8.	मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर उन्हें अंतिम करना और कंट्रोल टेबल में यथासंशोधित करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	24 जनवरी, 2022
9.	कंट्रोल टेबल का परीक्षण करना और संशोधन होने पर निर्देशानुसार यथोचित हस्ताक्षर करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	27 जनवरी, 2022
10.	कंट्रोल टेबल का डिजिटल हस्ताक्षर से वेरिफिकेशन।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	28 जनवरी, 2022
द्वितीय चरण (ग्राम पंचायत की मतदाता सूची तैयार करने हेतु कार्यवाहियाँ)			
क्रमांक	**कार्यवाही**	**उत्तरदायित्व**	**समयसीमा (अंतिम तारीख)**
11.	**शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची ERMS से जेनरेट कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना।**	**वेण्डर**	01 फरवरी, 2022
12.	शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची मार्किंग हेतु प्राधिकृत कर्मचारी को उपलब्ध कराना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	03 फरवरी, 2022
13.	शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मार्किंग कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।	प्राधिकृत कर्मचारी	07 फरवरी, 2022
14.	**शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा की गई मार्किंग की रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जाँच एवं वेरिफिकेशन।**	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी**	11 फरवरी, 2022
15.	**शिफ्टिंग संबंधी विवादों के निराकरण के लिए बैठक का आयोजन करना और बैठक का कार्यवाही विवरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना।**	**कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)**	14 फरवरी, 2022
16.	शिफ्टिंग संबंधी विवादों के निराकरण के लिए आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण अनुसार यथोचित कार्यवाही करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	15 फरवरी, 2022
17.	मार्कड शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची ERMS में प्रविष्टि हेतु वेण्डर को सौंपना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	17 फरवरी, 2022
18.	शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही उपरांत चैकलिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।	वेण्डर	18 फरवरी, 2022
19.	चैकलिस्ट की जाँच करना और जाँच उपरांत परिलक्षित त्रुटियों को सुधारने के लिए चैकलिस्ट वेण्डर को वापस करना।	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	21 फरवरी, 2022
20.	**त्रुटियों को सुधार कर एकीकरण किया जाना।**	**रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं वेण्डर**	

41. मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के सुचारू संचालन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ समयसीमा में सुनिश्चित करवाना होंगी :–

    - रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी आदि की नियुक्ति और समयसीमा में प्रशिक्षण।
    - सभी सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा जारी निर्देश, परिपत्र एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।
    - मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की डेशबोर्ड से ऑनलाईन नियमित मॉनिटरिंग करना और समयसीमा में सभी कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करवाना।
    - कंट्रोल टेबल के संशोधन और अपडेशन के सम्बंध में समन्वय करना।
    - शिफ्टिंग सम्बंधी विवादों के निराकरण के लिए यथासमय बैठक आयोजित कराना।
    - स्टेंडिग कमेटी की बैठक का आयोजन कराना।
    - वेण्डर से समन्वय कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की कठिनाईयों को समय सीमा में निराकरण कराना।

42. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यक्रम के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर मतदाताओं को यथास्थान प्रविष्ट किये जाने हेतु समय सारणी निर्धारित की गई है। मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत एवं उनके वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही के उपरांत मतदाताओं को उनके क्षेत्र अनुसार यथास्थान प्रविष्ट किया जाकर ग्राम पंचायत की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन एवं अन्य अनुवर्ती कार्यवाहियाँ की जावेगी।

43. मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण (रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका) पुस्तिका एवं आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

44. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संक्रमण पर नियंत्रण हेतु जारी गाईडलाईन का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

45. पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति तत्काल ई–मेल द्वारा भेजना सुनिश्चित करें।

(बी.एस.जामोद)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पृष्ठा. क्रमांक–एफ–35/PN–01/2022/तीन/10 भोपाल, दिनांक 12/01/2022

प्रतिलिपि –

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस भोपाल।
9. संभागीय आयुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
10. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु अग्रेषित।
11. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
12. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. आयुक्त–सह–नियंत्रक/उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, म.प्र. भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा की ओर अग्रेषित।
14. स्टाफ ऑफिसर, माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
15. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
16. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर बजट आवंटन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
17. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त अधिकारियों की ओर सूचनार्थ/योग्य कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
18. स्टोर (स्थापना/निर्वाचन) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
19. आई.टी. शाखा प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग।
20. गार्ड फाईल।

उप सचिव 12/01/2022.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग